धनराज

बनाम

न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

24 सितंबर, 2004

[एस. एन. वरियावा तथा ए. के. माथुर, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 147 - मोटर दुर्घटना-वाहन स्वामी का चोटिल होना-व्यापक बीमा पाॅलिसी-अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वाहन मालिक के प्रतिकर दावा को स्वीकार किया-अपील होने पर, अभिनिर्धारित कियाः व्यापक बीमा पॉलिसी, वाहन मालिक के चोटिल होने के जोखिम को रक्षित नहीं करती, जब तक कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा न करवाया गया हो।

मोटर दुर्घटना में अपीलांट वाहन स्वामी तथा अन्य यात्री चोटिल हुए। वाहन स्वामी के पास एक व्यापक पाॅलिसी थी। वाहन स्वामी के दावे के संबंध में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दुर्घटना के लिए वाहन संचालक को जिम्मेदार माना तथा उसे एवं बीमा कंपनी को मुआवजा देने हेतु निर्दिष्ट किया। बीमा कंपनी की ओर से पेश अपील को स्वीकार कर उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया कि बीमा कंपनी वाहन स्वामी को मुआवजा देने उत्तरदायी नहीं थी।

इस न्यायालय में अपीलांट ने यह तर्क दिया कि "स्वयं के नुकसान" के संबंध में अदा की गयी अधिमूल्य राशि, व्यक्तिगत उपहति को बीमा रक्षण प्रदान करती है। अतः वह मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अपील याचिकाओं को खारिज कर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. धारा 147 मोटर वाहन अधिनियम, 1988, के प्रकाश में बीमा पॉलिसी, वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने, चोटिल होने (परिवहन किए जा रहे माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित) अथवा वाहन में प्रयुक्त होने या उससे उत्पन्न किसी तृतीय पक्ष की सम्पत्ति को क्षति होने की अवस्था को बीमा पाॅलिसी रक्षण प्रदान करती है। धारा 147 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कंपनी वाहन स्वामी की मृत्यु अथवा चोटिल होने के जोेखिम होने की अवस्था की उपधारणा करे।

[714 - एच; 715-ए]

2. हस्तगत प्रकरण में यह नहीं दर्शाया गया कि बीमा पाॅलिसी वाहन स्वामी के चोटिल होने की अवस्था को भी रक्षण प्रदान करती है। यह नहीं कहा जा सकता कि "स्वयं के नुकसान" के तहत भुगतान किया गया अधिमूल्य व्यक्तिगत रूप से आई चोट के प्रति दायित्व का रक्षण करने हेतु हो। "स्वयं के नुकसान" के शीर्षक के अंतर्गत "वाहन तथा गैर विद्युत सहायक उपकरण" शब्द दर्शित होते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि अधिमूल्य, वाहन स्वामी की व्यक्तिगत उपहति के लिए नहीं अपितु वाहन को हुई क्षति के लिए है। हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का बीमा नहीं है।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी और अन्य. (1998) ए.सी.जे. 121 संदर्भित किया गया।

सिविल अपील न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6270-6271/2004

विविध मामलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2002 का ए. सं. 1712 में 21.7.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए सुशील कुमार जैन, सुश्री प्रतिभा जैन, सुश्री रुचि कोहली, राम निवास ए. पी. धमीजा और एच. डी. थानवी।

उत्तरदाताओं के लिए के. एल. नंदवानी, समीर नंदवानी, एस. के. मिश्रा और देबाशीष मिश्रा।

न्यायालय के निर्णय की उद्घोषणा की गयी।

एस. एन. वरियावा, जे.

विशेष अनुमति दी गयी।

पक्षकारान को सुना गया।

ये अपीलें 21 जुलाई 2003 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती हैं।

तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

26 अगस्त 2000 को अपीलार्थी कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ स्वयं की जीप में यात्रा कर रहे थे। प्रातः करीब साढ़े छह बजे जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य यात्रियों को भी चोटें आईं। बहुसंख्यक प्रतिकर दावा याचिकाएं संस्थित की गई। अपीलार्थी द्वारा भी दावा याचिका दायर की।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने दुर्घटना के लिए जीप के चालक को उत्तरदायी ठहराया। अन्य यात्रियों द्वारा संस्थित समस्त प्रतिकर दावा याचिकाओं में एम.ए.सी.टी. द्वारा निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी(वाहन स्वामी के रूप में) के साथ वाहन संचालक तथा बीमा कंपनी भी मुआवजा अदा करने हेतु दायित्वाधीन थे। हस्तगत अपीलों में हमें उन याचिकाओं तथा उनमें पारित आदेशों पर चिंतन नहीं करना है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रतिकर दावा याचिका में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा वाहन संचालक तथा बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि

याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि का भुगतान किया जावे। बीमा कंपनी द्वारा अपील संस्थित की गयी। उक्त अपील आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार कर ली गयी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता वाहन का स्वामी था, अतः बीमा कंपनी उसे मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु दायित्वाधीन नहीं है।

हमने बीमा पाॅलिसी का अवलोकन किया, जो व्यापक पाॅलिसी है। यह प्रश्न उदभूत होता है कि क्या एक व्यापक पाॅलिसी वाहन स्वामी के उपहति कारित होने के जोखिम का भी रक्षण करती है।

"धारा 147. पॉलिसियों की अपेक्षाएँ तथा दायित्व की सीमाएँः- (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बीमा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जोः-

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है, और

(ख) पॉलिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है, अर्थात्-

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने यान में जा रहे माल के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को शामिल करते हुए अथवा किसी पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्वः,

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षतिः

परंतु कोई पॉलिसी-

(i) उस पॉलिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजक से और उसके दौरान हुई मृत्यु के सम्बन्ध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के सम्बन्ध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के

लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत् कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो -

(क) यान चलाने में नियोजन है, या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जाँच करने में नियोजित है, या

(ग) माल वाहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है, या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या किसी पर-पक्षकार की किसी संपत्ति को नुकसान किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसा कोई व्यक्ति. जिसकी मृत्यु हुई है या जिसे शारीरिक क्षति पहुंची है या संपत्ति, जिसका नुकसान हुआ है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थे, कारित हुआ या उदभूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसा कारण या लोप, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी. सार्वजनिक स्थान में कारित किया गया था।

(2) उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के संबंध में उपगत किसी भी दायित्व को निम्नलिखित सीमाओं तक कवर करेगी, अर्थात्ः

(क) खंड(ख) में दिए गए प्रावधान के अलावा, वहन की गई देयता की राशि;

(ख) किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के संबंध में, छह हजार रुपये की सीमा तकः

बशर्ते कि किसी भी सीमित दायित्व के साथ जारी की गई बीमा की कोई भी पॉलिसी इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले का दायित्व चार महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा या ऐसी नीति की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो।"

अतः बीमा पॉलिसी, वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने, चोटिल होने (परिवहन किए जा रहे माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित) अथवा वाहन में प्रयुक्त होने या उससे उत्पन्न किसी तृतीय पक्ष की सम्पत्ति को क्षति होने की अवस्था को बीमा पाॅलिसी रक्षण प्रदान करती है। धारा 147 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि बीमा कंपनी वाहन स्वामी की मृत्यु अथवा चोटिल होने के जोैखिम होने की अवस्था की उपधारणा करे।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी व अन्य (1998) ए.सी.जे. 121 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा कंपनी का दायित्व केवल मात्र बीमित व्यक्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति करना है। अतः जहां बीमित व्यक्ति यानि वाहन स्वामी किसी तृतीय पक्ष के प्रति दायित्वाधीन नहीं है तो एेसी अवस्था में बीमा कंपनी भी दायित्वाधीन नहीं होती।

हस्तगत प्रकरण में यह नहीं दर्शाया गया कि बीमा पाॅलिसी वाहन स्वामी को हुई उपहति के जोखिम को रक्षण देती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि "स्वयं के नुकसान" के शीर्ष में अधिमूल्य स्वरूप 4,989 रुपये अदा की गयी राशि व्यक्तिगत नुकसान के प्रति दायित्वाधीन को रक्षण के लिए है। "स्वयं के नुकसान" के शीर्ष के अंतर्गत "वाहन आैर गैर विद्युत सहायक उपकरण पर अधिमूल्य" दर्शित होते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि यह अधिमूल्य वाहन के क्षतिग्रसत होने के लिए है, ना कि वाहन स्वामी को हुई व्यक्तिगत नुकसान के लिए। वाहन का स्वामी उसी अवस्था

में दावा कर सकता है जब व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त किया गया हो, हस्तगत प्रकरण में इस प्रकृति का बीमा नहीं है।

अतः हम उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं पाते। हम उनमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते। याचिकायें खारिज की जाती हैं। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

के.के.टी.

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र साहू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।